



2026:AHC:45251

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3074

हरि शंकर राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रमोद कुमार राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार राय और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में सहायक ऑपरेटर के रूप में नियुक्त था और 31.12.2025 को सेवानिवृत्त हुआ। हालांकि, उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला (केस क्राइम नंबर 225/2021; धारा 323, 504, 506, 427, 117 आईपीसी) लंबित होने के कारण, वित्त नियंत्रक कार्यालय के लेखा अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से उसकी सेवानिवृत्ति लाभों की फाइलें यह कहते हुए वापस कर दी गई हैं कि लंबित मामले के कारण उसे पेंशन लाभ नहीं दिया जा सकता।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि यह आदेश 28.11.2025 को पारित किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा शिव गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (5) *ADJ* 441 (2019), देवेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2021 0 *Supreme* 1154 *Allahabad* (2021) और उदय नारायण ओझा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2020 (6) *AWC* 5502 (2020) में दिए गए निर्णयों के अनुसार, याचिकाकर्ता 'औपबंधिक पेंशन' और अन्य स्वीकार्य लाभ पाने का हकदार है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि 28.11.2025 का पत्र एक आंतरिक संचार है, लेकिन यदि आपराधिक मामला लंबित है, तो याचिकाकर्ता औपबंधिक पेंशन का हकदार है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस दलील को शालीनता से स्वीकार किया।
7. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र इस पर उचित आदेश पारित करेंगे और यदि कोई कानूनी बाधा या लंबित आपराधिक मामला है, तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता को नियमानुसार **औपबंधिक पेंशन** का भुगतान किया जाएगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से औपचारिक जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को इस रूप में न देखा जाए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।